

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -180/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

मोहन महतो वगैरह बनाम नरेन्द्र कुमार महतो

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

1.मोहन महतो वो 2.नन्दलाल महतो दोनो
पिता-स्व० जीवन महतो, ग्राम-तुंजू, पो०-वारेडीह,
थाना-बुण्डू, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी,
पेशा-खेतीबारी।

क्रेता का नाम एवं पता -

नरेन्द्र कुमार महतो पिता-कुलकिशोर महतो,
ग्राम-जानुमपिड़ी (सुन्दरडीह) पो०-जानुमपिड़ी,
थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी,
पेशा-खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री रामचरण महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-17/02/2023 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता नरेन्द्र कुमार महतो पिता-कुलकिशोर महतो, ग्राम-जानुमपिड़ी (सुन्दरडीह) पो०-जानुमपिड़ी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
तुंजू	बुण्डू/32	22	2281	11.37 डी० चौहद्दी:- उ०-सहायक रास्ता। द०-डोमा मांझी। पू०-राष्ट्रिय राजमार्ग (NH 33)। प०-सुदाम मांझी।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक-232(ii) दिनांक-29/04/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) विक्रेता के पास रकबा-17 डी० भूमि है।
- (2) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा-5.63 ए० भूमि बचती है।
- (3) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को घरेलु आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- (4) खरीदगी पट्टा के आधार जमाबंदी कायम है।
- (5) प्रस्तावित जमीन पर वर्तमान में आवेदक (विक्रेता) का दखल कब्जा है।
- (6) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जिला के निवासी है।
- (7) क्रेता एवं विक्रेता दोनो कुरमी जाति के सदस्य है।

2

(8) प्रस्तावित जमीन का सरकारी रसीद जीवन महतो पिता-लखीन दास महतो के नाम से निर्गत है।

(9) प्रस्तावित जमीन पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।

(10) प्रस्तावित जमीन को लेकर किसी न्यायालय में वाद लंबित नहीं है।

(11) प्रस्तावित भूमि भू हदबंदी, भू-अर्जन, गैरमजरूआ खास, वन, जंगल, झाड़ी, श्मशान, गोचर, नदी, नाला, कब्रस्तान एवं धार्मिक स्थल से बाहर है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता 1.मोहन महतो वो 2.नन्दलाल महतो दोनो पिता-स्व० जीवन महतो, ग्राम-तुंजू, पो०-वारेडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता नरेन्द्र कुमार महतो पिता-कुलकिशोर महतो, ग्राम-जानुमपिड़ी (सुन्दरडीह) पो०-जानुमपिड़ी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-17/02/2023 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता 1.मोहन महतो वो 2.नन्दलाल महतो दोनो पिता-स्व० जीवन महतो, ग्राम-तुंजू, पो०-वारेडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेतीबारी, को क्रेता नरेन्द्र कुमार महतो पिता-कुलकिशोर महतो, ग्राम-जानुमपिड़ी (सुन्दरडीह) पो०-जानुमपिड़ी, थाना-तमाड़, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुरमी, पेशा-खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तुंजू	बुण्डू/32	22	2281	11.37 डी० चौहद्दी:- उ०-सहायक रास्ता। द०-डोमा मांड़ी। पू०-राष्ट्रिय राजमार्ग (NH 33)। प०-सुदाम मांड़ी।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता।
बुण्डू (राँची)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता।
बुण्डू (राँची)